बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्रीमती प्रिया सत्संगी (कोटि क्रमांक–328/24, बिहार आपूर्ति सेवा), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, खानपुर, समस्तीपुर सम्प्रति भगवानपुर, कैमूर को 50,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–025/2022 दिनांक–31.05.2022, धारा–7(a)(c)/12 भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज किये जाने संबंधित प्रतिवेदित आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में श्रीमती सत्संगी के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–3896 दिनांक–31.08.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त के क्रम में प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभागीय आदेश ज्ञापांक–5149 दिनांक–28.11.2023 द्वारा पूर्व में नामित संचालन पदाधिकारी तथा साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी के स्थान पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद को संचालन पदाधिकारी तथा श्रीमती रंजीता कुमारी, तत्कालीन पणन पदाधिकारी, अनुभाजन पटना को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत मामले में साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2865 दिनांक–17.10.2025 द्वारा श्रीमती आरती कुमारी (कोटि क्रमांक–166/24, बिहार आपूर्ति सेवा), पणन पदाधिकारी, अनुभाजन पटना को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–2162 दिनांक–05.02.2025 की कंडिका–3(3)(ख)(V) में वर्णित प्रावधान यथा–"वेतन स्तर–8 अथवा उससे निम्न वेतन स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने (Trap) से संबंधित मामले जाँच हेतु विभाग में संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों को सौंपे जायेंगे। प्रमंडल स्तर पर ऐसे मामले संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) को एवं जिला स्तर पर ऐसे मामले अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) को सौंपे जायेंगे", के अनुपालन के आलोक में सम्यक् समीक्षोपरान्त प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद के स्थान पर संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। साथ ही, श्रीमती आरती कुमारी (कोटि क्रमांक–166/24, बिहार आपूर्ति सेवा), पणन पदाधिकारी, अनुभाजन पटना के स्थान पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेशित किया जाता है कि श्रीमती सत्संगी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख विशेष दूत के माध्यम से अविलंब नव–नियुक्त संचालन पदाधिकारी को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. श्रीमती आरती कुमारी (कोटि क्रमांक–166/24, बिहार आपूर्ति सेवा), पणन पदाधिकारी, अनुभाजन पटना–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेख जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर को अविलंब हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–3896 दिनांक–31.08.2022 की शेष कंडिकाऐं यथावत रहेगी।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

2020/Sec_8/Office Order.Doc

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–17/2022 3128 /खाद्य, पटना/दिनांक 18.11.2025

प्रतिलिपि–1. प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, पटना, समस्तीपुर, पूर्णिया एवं कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के समक्ष विभाग का पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे।

5. विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कैमूर एवं पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. श्रीमती आरती कुमारी (कोटि क्रमांक–166/24, बिहार आपूर्ति सेवा), पणन पदाधिकारी, अनुभाजन पटना (E-Mail : artidip25@gmail.com, Mob.- 6207429307) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. श्रीमती प्रिया सत्संगी (कोटि क्रमांक–328/24, बिहार आपूर्ति सेवा), आपूर्ति निरीक्षक, भगवानपुर, कैमूर, E-Mail : itsatsangi@gmail.com, Mob.- 8971041550 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8. आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।